[Dr. V. K. R. V. Rao]

The joint Committee has gone into all these matters with great care and delibaration. I would again pay my tribute to the committee. We use to have heated discussions. Even my friend Mr. Piloo Mody who is normally very clam except when he is interrupting, was violent in his statements. But after all the violence and heat in the discussions. we came to unanimous conclusions. We took care to see that the title of architect was properly protected. We did no harm to those who are practising this profession provided they do not call themselves by the official title of architects. In this process the fundamental charge the Joint Committee has made in the original Bill is to protect the title and style of architect only and not, would repeat not, to make the designing, construction and supervision of buildings the exclusive responsibility of any one particular group of professionals. I have no doubt that this fundamental change will satisfy the legitimate demand of the architects and also allow engineers and other professionals to pursue their legitimate avocations in life.

The Bill, with the amendments suggested by the Joint Committee, represents the greatest possible measure of agreement. The report of the Joint Committee was passed on 7th May, 1969 with only one amendment of clause 27 (2), *viz.*,

> "Where the renewal fee is not paid within one month after the due date, the Registrar shall remove the name of the defaulter from the register."

Otherwise, the entire report of the Joint Committee was passed I would now commend the Bill, as it has been passed by the Rajya Sabha, to the House for its consideration and I hope it will unanimously adopted by the house.

MR. SPEAKER : Motion moved :

> "That the Bill to provide for the registration of architects and for purposes connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Mr. Speaker, Sir, to begin with, I would like to congratulate the Government of India on having brought forward this Bill, as the Minister admitted, after 25 years of consideration. This matter has been under active debate for the last 25 years and therefore. I must particularly congratulate the Minister-incharge that it has fallen to his lot after I do not know how many predecessors have taken a hand at it, to bring it before the House, to steer it through the Joint Committee, have the Rajya Sabha approve of it and finally come to last hurdle, which is the Lok Sabha.

As the Minister said, the Bill is really non-controversial on a great many fronts.

MR. SPEAKER : You may continue tomorrow. It is now 5.30 and we have to take up the half-hour discussion.

17.29 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : PRICE OF SUGARCANE

श्री रघुबीर सिह शास्त्री (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, गन्ने के मूल्य का मामला इस देश के किसान और इस उद्योग में लगे हुए मजदूर—दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचि का विषय है । इसी 12 नवम्बर को यहां लोक सभा में मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय कृषि मन्त्री जी ने बतलाया था कि इस फसल के लिए, जो अभी चालू हुई है, गन्ने का भाव नियत करने के सम्बन्ध में उन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों के सुझाव मांगे थे और उन सुझावों को देखने के बाद सरकार ने तय किया कि गन्ने का भाव 7 रुपए 37 पैसे रखना चाहिए । एक सब से बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जितनी सरकारों से इन्होंने सुझाव मांगे, वे 11 सरकारें हैं और उन 11 सरकारों में जिन राज्यों में गन्ने का उत्पादन एक मुख्य उत्पादन के रूप में है, उन सभी सरकारों ने, जो स्वयं

बड़े बड़े राज्य हैं, 9 रु० से लेकर 10 रुपये क्विंटल की मांग की है। कुछ ऐसे राज्यों ने जो छोटे-मोटे राज्य हैं और जिन का गन्ने के उत्पादन से विशेष सम्बन्ध नहीं है, उन्होंने 7 रुपये 37 पैसे की मांग की है। एक-आध राज्य, जैसे गुजरात, ऐसे भी हैं जो इस मामले में उदासीन रहे और उन्होंने कोई सुझाव नहीं भेजा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अधिकांश राज्यों ने 9 रुपये से लेकर 10 रुपये तक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की मांग की है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार एक साल के बाद भी जहां कि तहां ही है। पिछले साल 7 रुपये 37 पैसे भाव था, इस साल भी 7 रुपये 37 पैसे ही रखा।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकारों से सुझाव मांगने का नाटक क्यों किया गया। आप छोटी छोटी बातों के लिये मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाते हैं, खाद्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाते हैं, लेकिन इतने बड़े काम के लिए, जो देश के करोड़ों किसानों के भाग्य से सम्बन्ध रखता है, क्या कभी आपने खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, मुख्य मंत्रियों के सामने आप ने यह बात रखी ? मैं तो यह समझता हूं कि प्रति वर्ष आप को खाद्य मन्त्रियों या मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए और उनकी अनुमति ले कर, उन की सहमति से गन्ने का मूल्य तय करना चाहिए।

हमें बताया जाता है कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के परामर्श से केन्द्रीय सरकार भाव तय करती है। लेकिन में पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय कृपा कर अपने वक्तव्य में बतायें, इस का आधार क्या है, किन आधारों पर आप भाव तय करते हैं। जहां तक मुझे मालूम है, जहां वे और बातों का ख्याल रखते हैं, मुझे एक बात के संबन्ध में सब से बड़ी आपत्ति है। जब किसी चीज का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उस समय अनेकों छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा जाता है लेकिन जब गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है, उन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। मैं पूछना चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय जमीन के सम्बन्ध में आप . क्या सिद्धान्त अपनाते है ? जहां तक मुझे मालूम है, केवल जमीन का जो लगान है, जो 4-5 रुपए प्रति एकड़ पड़ता है, केवल उसी को कास्ट आफ प्रोडक्शन में लेते हैं। जब आप कारखानों के उत्पादन का मूल्य निर्धारित करते हैं, उस समय कारखाने की सारी प्रापर्टी, उस के सारे एसेट्स को पूंजी मान कर, उसका ब्याज लगा कर, तब उस कारखाने की उत्पादित वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं, ठीक उसी तरह से किसान को उत्पादित सामग्री का भी मूल्य निर्धारित होना चाहिये। जमीन की कुल संम्पत्ति को आधार मान कर, उस संम्पत्ति पर जो ब्याज बनता है, उसको खर्च मान कर, तब इसको निर्धारित करना चाहिये।

इसी तरह से इनपुट्स की बात है—खाद, बिजली, पानी और श्रम ये सब लगातार मंहगे होते चले जा रहे हैं। पिछले साल के बजट में खाद पर 10 प्रतिशत का उत्पादन शुल्क लगाकर खाद को आपने मंहगा कर दिया। इसी तरह से दूसरी चीज भी मंहगी होती चली जा रही हैं। यदि इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए तो गत वर्ष जो मूल्य था, उस से काफी अधिक मूल्य इस वर्ष होना चाहिए था।

किसान को बहुत सी चीजें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं — उन को देखते हुए बड़ा अचम्भा होता है कि किसान के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। श्रीमन् अभी राज्य सभा में 10 नवम्बर को वित मन्त्री चव्हाण साहब ने मूल्यों की चर्चा करते हुए बतलाया था कि अक्तूबर, 1969 से लेकर अक्तूबर, 1970

[श्री रघुवीरसिंह]

तक एक वर्ष में थोक मूल्यों की सूची के अंक में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, औद्योगिक उत्पादन में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और खाद्यान्न के मूल्यों में 0.5 प्रतिशत की कमी हुई है। इस का अर्थ है कि जहां अन्य चीजों में 6-7 या 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, खाद्यानों के मूल्य गिरे हैं। एक तरफ किसान को जितनी चीजें लेनी पड़ती हैं उन सब के मूल्य बढ़ रहे हैं। बाजार में हर चीज के मूल्य बढ़ रहे हैं और किसान द्वारा उत्पादित चीजों के मूल्य गिर रहे हैं। इस तरह से तो किसान की कमर टूट जायेगी और वह इसको किस तरह से बर्दाश्त कर सकेगा ? इस लिए मेरा कहना है कि जब आप इस तरह के मूल्य निर्धारित करें तो उस के साथ साथ यह भी देख लें कि बाजार में साधारण चीजों की होलसेल प्राइस क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या है, दूसरी चीजों की प्राइस क्या है ? इसी तरह से लिविंग इन्डेक्स भी देख लें जी कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और जिसको देख कर आप मजदूरों को राहत देते हैं, सरकारी कर्मचारियों को को राहत देते हैं, उसके वेतन भत्ते बढ़ाते हैं-हर साल आपको इस सम्बन्ध में परेशानी होती है लेकिन आपको कुछ न कुछ करना पड़ता है, कुछ न कुछ देना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ आप किसानों की परेशानी पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इस लिए जब कभी ऐसे मूल्य निर्धारित करें तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।

जो गन्ने की फसल होती है उसका काफी बड़ा हिस्सा फैक्ट्रियों में जाता है और उससे भी ज्यादा बड़े हिस्से से गुड़ और खांड-सारी बनती है। गुड़ और खांडसारी की हालत तो और भी खराब है। मैं बताऊं तो आपको अचम्भा होगा कि गुड़ और खांडसारी के भावों की क्या हालत 19 अप्रैल को सन् 68-69 में गुड़ का औसत भाव 86 रुपये प्रति क्वीन्टल था लेकिन अगले साल 1969-70 में उसी 19 अप्रैल को 45 रुपये रह गया यानी आधे के करीब रह गया। इसी तरह से खांडसारी का भाव भी देखिए। 19 अप्रैल, 1969 को 205 रुपये था और सन् 1970 में 19 अप्रैल को 110 रुपये रह गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि गुड़ और खांडसारी के मूल्य पहले साल की अपेक्षा आधे से भी कम हो गए।

टैरिफ कमीशन ने भी कहा है कि जब गन्ने के भाव सरकारी तौर पर, स्टैट्यूटरी तौर पर सात रुपये 37 पैसे निर्धारिय किये जाते हैं, तो खांड और गुड़ के माध्यम से भी किसानों को कम से कम 6 रुपये प्रति क्वींटल मिलने चाहिए लेकिन आज किसान को मुश्किल से साढ़े तीन या चार रुपए ही मिल रहे हैं। किसानों के साथ यह कितना बड़ा अन्याय हो रहा है ? इस अन्याय को भी दूर किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। किसानों के साथ एक बड़ा अन्याय यह हो रहा है कि किसान सस्ते भाव पर अपनी फसल को डाल आता है लेकिन, बावजूद इस के, उसका जो मूल्य है उसका भुगतान भी उसको नहीं होता है। संसार में कहीं भी आपको ऐसा उदाहरण नही मिलेगा कि कोई अपने गाढ़े पसीने और खून की कमाई डाल आये और उसके बाद उसको यह भी पता न हो कि कीमत उसको कब मिलेगी। इस समय जहां तक मुझे पता है, पिछली फसल का 35 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। कुछ तो इस प्रकार की मिलें हैं जिन्होंने दिसम्बर और और अप्रैल के बाद कोई पेमेंट ही नहीं किया है। मिल मालिक यह कहते हैं कि हमारा स्टाक बन्द पड़ा है, हमारी पोजीशन टाइट है, हम पैसा कहां से लायें ? हमारी बैंक लिमिट खत्म हो चुकी है, जो बैंक लिमिट बढ़वाई थी वह भी खत्म हो चुकी है। फैक्टरी भी अपनी जगह पर

ठीक हैं लेकिन क्या किसान 6 महीने, 8 महीने और साल भर तक इन्तजार कर सकते हैं ?

इसके साथ ही साथ कई दफा सरकार ने यह कहा कि किसानों के जो एरियर्स रहते हैं उस पर किसान को ब्याज मिला करेगा । बहुत दफा यह बात कही गई है लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या खाद्य मन्त्री इस बात की जांच पड़ताल करेंगे कि आजतक कहीं भी किसानों को ब्याज मिला है या नही ? मुझे जहां तक पता है, किसानों को कहीं भी कोई ब्याज नही मिला है । फैक्टरी वाले इतनी चालाकी करते हैं कि कहीं अगर ब्याज देने की बात आई भी तो जो सोसायटी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स हैं उनको बहला लेते हैं और उनसे वह ब्याज राइट आफ करवा लेते हैं । तो मेरा खाद्य मन्त्री से यह कहना है कि ऐसे मामलों में आप सख्त नियम बनाइये कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को भी कोई अधिकार न हो कि किसानों के ब्याज को माफ कर सकें । जब सरकार की कोई नीति हो तो फिर किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसानों के ब्याज को वह माफ करे ।

अब मैं आपको एक उपाय भी बतलाता हूं । इसी साल हमारे यहां मुजफ्फरनगर में जो रोहाना शुगर मिल है वहां की सोसायटी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है । उन्होंने मिल मालिक और बैंक से बातें करके अपने असेट्स और सम्पत्ति के आधार पर बैंक से रुपया ले लिया और उस रुपये से किसानों की एक-एक पाई का भुगतान कर दिया और साथ साथ मिल मालिक से यह एग्रीमेंट कर लिया कि जब वे पैसा देंगे तो उसके साथ ब्याज भी देंगे । तो अगर यह तरीका बन सके कि सोसायटीज अपनी सम्पत्ति के आधार पर बैंक से पैसा लेकर किसानों का भुगतान कर दें और सोसायटी मिल मालिक से ब्याज ले लिया करे तो यह एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है । इस बात पर भी सरकार को विचार करना चाहिए ।

श्रीमन्, चीनी उद्योग वाले कहते हैं कि हमको प्राफ़िट नहीं है लेकिन मैं ने जो आंकड़े देखे हैं उनसे मुझे बड़ा अचम्भा हुआ है । तीन चार सालों के जो आंकड़े मुझे मिल सके हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । 1962-63 में सारा टैक्स देने के बाद चीनी उद्योग को 2.1 परसेंट का मुनाफा हुआ था । 1963-64 में 7.8 परसेंट का मुनाफा हुआ । 1964-65 में 8.7 परसेंट का मुनाफा हुआ और 1965-66 में 9.6 का मुनाफा हुआ । इस प्रकार से मिल मालिकों का मुनाफा हर साल बढ़ रहा है । चार सालों में बढ़ करके वह चौगुना हो गया है । 1962-63 में जो 2.1 परसेंट था वह 1965-66 में बढ़कर 9.6 परसेंट हो गया । अगर मिल मालिक कहते हैं कि हमें मुनाफा नहीं है तो यह आंकड़े बता रहे हैं कि मिल मालिकों का दावा गलत है और वह सरकार को झांसे में डालना चाहते हैं ।

इसके साथ ही मैं एक बात की तरफ सरकार का ध्यान और खींचना चाहता हूं । 12 तारीख को खाद्य मन्त्री ने जो जवाब दिया था कि हमने ये मूल्य निर्धारित किए हैं उसमें एक बड़ी चालाकी की गई थी । उन्होंने कहा था कि 9.4 रिकवरी जो है, शुगर की इस प्रतिशत उपलब्धि के साथ हम ने मूल्यों को जोड़ दिया है और जब 9.4 से ज्यादा रिकवरी होगी तो किसानों को हम और ज्यादा देंगे । लेकिन कितना ज्यादा प्रीमियम आपने दिया ? पहले 5.36 पैसा देते थे हर एक प्वाइंट के ऊपर और अब इन्होंने कहा कि 66 पैसा देंगे यानी पैसे का दो तिहाई हिस्सा इन्होंने दिया है । इस तरह से आप किसानों को आंख में धूल झोंकना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि रिकवरी के साथ मूल्यों को जोड़ने की बात बार बार सरकार

[श्री रघुवीरसिंह]

कहती रही है लेकिन किसानों के साथ इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हुआ है। आप किसी भी मिल को बताइये जहां पर कि रिकवरी के आधार पर आपने पैसा दिया हो? इस प्रकार का कोई एक मामला भी आप हमें बतायें? मैंने मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की मिलों से पूछा है, वहां पर आज तक किसी भी किसान को रिकवरी के आधार पर कोई पैसा बढ़ा हुआ नहीं मिला है। तो यह सब किसानों की आंख में धूल झोंकी जाती है, उनके आंसू पोंछे जाते हैं।

इन सब बातों से मालूम होता है कि सरकार की नीति केवल एक है और वह यह कि किसी तरह से जो उपभोक्ता हैं उनका हित होना चाहिए। कारण यह है कि वे लोग शहरों में रहते हैं, उनके पास अखबार हैं, प्लेटफार्म है और झंडा है। उनके साथ प्रदर्शन करने वाले आदमी है। इसीलिए वे अपना सारा काम करवा लेते हैं। लेकिन ये जो थोड़े से लोग शहरों में रहते हैं उनके उपभोग के लिए आप 70 या 80 फीसदीं किसानों का गला क्यों काट रहे हैं? आप जब कभी इस तरह के मूल्य निर्धारित करें तो उसमें केवल उपभोक्ताओं का ही ध्यान न रखें बल्कि किसानों का भी उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर किसान जीवित रहेगा, किसान का ढांचा बना रहेगा तो उपभोक्ताओं को भी सस्ती चीनी मिल सकेगी। आप मूल्यों को निर्धारित करते समय उपभोक्ताओं का ध्यान रखें लेकिन किसानों की कास्ट पर उनको संतुष्ट करने की कोशिश न करें। अगर आप सस्ती चीनी देना चाहते हैं तो शौक से दीजिए लेकिन जो आप कहते हैं कि हम उनको सस्ती चीनी देना चाहते हैं वह कैसे देंगे? किसानों के गन्ने का भाव कम कर देंगे। मै आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ मूल्य गिर रहे हैं, स्टाक की पोजीशन टाइट है लेकिन दूसरी तरफ आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। 1969-70 के बजट में प्रपोजल्स में मूल्यानुसार आपने जो एक्साइज ड्यूटी लगाई उसका परिणाम यह हुआ कि एक साल में 42 करोड़ रुपया ज्यादा मिला। बजट अनुमान यह था कि 27 करोड़ मिलेगा लेकिन मिला 42 करोड़ यानी 15 करोड़ ज्यादा। उसके बाद 70-71 में तो कमाल कर दिया। इस प्रगतिशाली समाजवादी सरकार का जो बजट आया उसमें चीनी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। जो लेवी की शुगर थी उस पर तो आपने रखा 23 के बजाय 25 प्रतिशत और फ्री शुगर पर 23 के बजाये 37.5 प्रतिशत कर दिया। यानी इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ा दी।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आप को उपभोक्ता की फिक्र है तो आप ड्यूटी क्यों बढ़ा रहे हैं? आप ड्यूटी कम कीजिए और उपभोक्ता को सस्ती चीनी दीजिये, लेकिन सस्ती चीनी देने के लिए आप किसान के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? क्यों अन्याय करते हैं? इस लिए मेरा कहना यह है कि सरकार जो कुछ भी करे वह इन सब बातों को ध्यान में रख कर करे और किसान के साथ अन्याय न हो। राज्य सरकार की जो सिफारिशें हैं उन पर ध्यान दिया जाये, और जब आप मूल्य तय करें कम से किसान को सन्तोष होना चाहिये कि उस के हितों को, उस की लागत को, उस की मांगों को, उस की भावनाओं को, ध्यान में रख कर काम किया गया है।

गन्ना के विषय में हर समय किसान को शिकायत रहती है कि जब भाव तय करने की बात होती है तब किसान के साथ अन्याय किया जाता है। यह जो किसान की भावना है और यह जो किसान का सोचना है, मैं कहना चाहता हूं, वह आप को महंगा पड़ेगा। चीनी आप को सस्ती पड़ जायेगी लेकिन किसान की आह मंहगी पड़ेगी और आप को उस से निपटना पड़ेगा। इस लिए मैं कहना चाहता हूं

कि चीनी सस्ती पड़े इस के लिए किसान की आह मंहगी मत कीजिये। आप किसान के साथ सहानुभूति रखिये और किसान को सन्तोष दीजिये। कम से कम पार्लियामेंट में जो किसान मेंम्बर हैं उन की एक कमेटी बना कर आप उन से इस बारे में पूछ लिया करें। लेकिन ग्राप का वही पुराना ढर्रा चल रहा है। पिछले साल 7 रु० 37 पैसा था, इस लिए अब की भी वही कर देंगे। ग्राप की थैली में बने बनाये बजर बट्टू हैं। 1968-69 में भी वही दे दिया, 1969-70 में भी वही दे दिया, इस लिए 1970-71 में वही दे दिया जाये। कहां 1968 के भाव थे और कहां 1970-71 के भाव हैं।

इन सब बातों को देखते हुए आज हमारा बड़ा सौभाग्य होगा अगर परमात्मा खाद्य मंत्री के हृदय में अच्छी भावना पैदा करे और पार्लियामेंट के सदस्यों की मांग उन के हृदय पर कोई प्रभाव कर सकें। मैं बड़ा सौभाग्य-शाली हूंगा अगर आज मंत्री महोदय यहां यह घोषणा करें कि इन सब बातों का ध्यान रख कर गन्ने के मूल्य नियत किये जायेंगे। सरकार द्वारा जो मूल्य तय किये गये हैं उन में किसानों की उपेक्षा की गई है। मंत्री महोदय को चाहिए कि गन्ने का मूल्य बढ़ा कर घोषित करें जिस से सारे किसानों में हर्ष की लहर दौड़ जाये। दूसरी बात यह है कि किसानों के जो एरियर्स हैं उन को निपटाने का कोई उपाय सरकार करे और जो उपाय मैं ने सुझाया है उससे करें जिस से उन के एरियर्स खत्म हों। तीसरी बात यह है कि अगर आप उपभोक्ता को सस्ती चीनी देना चाहते हैं तो उस का कोई और तरीका सोचिये। आप की जो एक्साइज ड्यूटी है उस को कम कीजिए चाहे कुछ कीजिये लेकिन किसान के खून का सौदा कर के उपभोक्ताओं को, जिन की 7 प्रतिशत आवादी है, सन्तुष्ट कर के किसान के साथ अन्याय मत कीजिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राप की व्यवस्था चाहता हूं। जब आधे घन्टे की चर्चा होती है तब चार सदस्यों को प्रश्न पूछने की ग्रनुमति है। जिन सदस्यों के नाम प्रश्न पूछने के लिए थे उन में से दो ही मौजूद हैं और दो नही हैं। मैं चाहता हूं कि जो दो लोग नहीं हैं उन के स्थान पर हम लोगों को जोगन्ने के क्षेत्र से आते हैं, प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मेरा खयाल है कि तीन मेम्बर मौजूद हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप देख लें, जिन चार सदस्यों के नाम हैं उन में से लेवल दो हैं।

अध्यक्ष महोदय : ग्राप हैं, श्री शर्मा हैं, श्री कुंडू हैं। आप किसी एक को गैर हाजिर कर दीजिये।

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : Mr. Speaker, Sir, I am glad that this topical question has been raised here in this house. I am surprised to see that this Government is not at all giving any attention to the needs of the farmers-more particularly—to the sugar cane growers.

I have every appreciation for the work that is being done by Shri Shinde. But this does not be lie under his purview. He is made to reply here, but the policy is determined elsewhere.

As Shastriji pointed out, the Mills have to pay the arrears to the tune of Rs. 35 crores to the sugarcane growers. If the Government possesses any heart, if it has any sensitivity about getting justice done to the sugarcane growers, it should see that this amount is paid to them immediately. I would, therefore, like that those arrears should be got immediately paid.

This price, as usual, has been fixed on the basis of 9.4 per cent recovery, and it is Rs. 7.37. Last year, as you know, in this area, more particularly, UP etc., huge crops of sugarcane remained standing in the field and were not utilised...

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : It was burnt in some cases.

DR. RAM SUBHAG SINGH : ...due to the faults of the millers and due to the fault of the Government who could not induce the millers to get them crushed in time.

While determining the price, as my hon. friend has pointed out, one has to take into consideration the increase in the cost of cultivation which the sugarcane grower has to meet. For instance, the cost of fertiliser has gone up, the cost of power has gone up in your araa, Sir, and more particularly in Haryana, where it is 38 paise per unit. How can any sugarcane grower pay water rate if it is that high ? Last year and also the year befyre last, the price was Rs. 10 per quintal, and it used to be sold at Rs. 12 or 13 or 14 or at some places even at Rs. 16 per quintal. But they purposely kept the price down, because there was a link between the Government and the sugar manufacturers. Even in regard to this exercise of free sugar and levy sugar, I charge that it was due to that combine because they had to keep them going. and the Goverment had to keep Government them going Even now, good sense can dawn on Government, and they should see that the price is brought up at least to the limit suggested; I would like the hon. Minister Shri Annasahib Shinde to exercise his good office, because his own State Government has said that the minimum price should be Rs. 10 per quintal. If this Government pays any attention to the views of the State Governments, then barring the State Governments which are in the hands of the millers, as for instance, Rajasthan etc., the other State Governments have all recommended a higher figure. For instance, it is only Rajasthan and Haryana which have suggested Rs. 7.37. The Maharashtra Government has suggested Rs. 10 per quintal. The Punjab Government has also recommended Rs. 10 per quintal, and UP. Rs. 9. Tamil Nadu Rs. 9, Bihar Rs. 9 and Andhra Pradesh Rs. 9. Therefore, I suggest the minimum price should be Rs. 10 per quintal, and the Government should also see that the maximum is allowed to be paid to the growers because they have to meet so many other charges such as so the digging operation or to ploughing operation or on tractors etc. Government are so incompetent that the tractor prices have gone up by 300 per cent and they are not being made available to the formers or sugarcane growers. Even in your State, Sir, hundreds of tractors are lying idle. Only the other day, we saw about 150 tractors lyine idle in Andhra Pradesh and other places.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : They were East German tractors.

DR. RAM SUBAGH SINGH : Wherever they may have come from, they came through the Government sources. and the STC imports them. So, they should give freedom to the growers to import the tractors. If the Government and the STC have become so incompetent that they cannot import any good quality tractor, then they should resign from that responsibility and leave it to the growers to import tractors and also fertilisers, because fertiliser is also not made available to them at the price operating elsewhere.

The cost of power is equally high. As regards recovery, who knows what the recovery is. There is no sugar factory in India where the Government are having their own apparatus to determine the sucrose recovery. It may be that in UP in one or two factories, they may be having such facilities. But in UP there are about 100 sugar factories, and in not all of them do such facilities exist. I would like the hon. Minister to let us know where the apparatus is to determine whether the recovery is 9.4 per cent or 10 per cent or 7 or 8 per cent. In that way also, the growers are made to suffer. In respect of realisation of the cost of production, the cane growers are made to suffer. Then in regard to the cost of fertiliser, power and water, due to the inefficiency of Government, they are again made to suffer.

Therefore, I suggest that a Commission consisting of repvesentative of the cane growers and some experts should be constituted to go into the sugarcane prices and they should be asked to report within 15 days, because this is the cane season. This hotchoptch annuoncement of Rs. 7.37 per

quintal is something which must be withdrawn immediately because you are playing with the lives of the cane growers. They should also see that the arrears should be paid immediately. Government should also appoint a committee to go into the cost of production of cane because sugarcane is as crop which requires plenty of intensive labour. This is a cash crop. Without knowing the cost of production, without taking into account the price suggested by the majority of State Governments, is there any sense in determining the price of cane on an *ad-hoc* basis ?

To recapitulate my four suggestions, they should get the arrears paid, institute a committee to report on the price structure of cane in relation to the price of sugar and also constitute a committee of MPs to go into the cost of production. Whenever there is anything on sugar, they immediately get it referred to some body and increase the price, but about cane, they do nothing. Then the cost of fertiliser, power and water and tractor should be brought down.

MR. SPEAKER : The proper procedure should have been for the Minister to reply to the member who initiated the discussion and then questions should follow. Now that it has proceeded this way, let it continue.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : I can reply any time you desire.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : I think it is in the interest of the democratic system that those who have been in power should speak sometimes so that members like Dr. Ram Subhag Singh could come out with their past experience and enlighten this House that the Government was in league with the suger manufacturers.

DR RAM SUBHAG SINGH : It is. He is wrong because he is league with this Government,

SHRI S. KUNDU : Anyway, all along we have been accusing this Government and they say because we are in the Opposition 'What you say is not true'. Now it has come from the horse's mouth. I hope Government would reply to that point.

I remember in this House Shri Jagjiwan Ram had assured us that the sugarcane price should be at about Rs. 10 per quintal. I do not know what catalytic change has occurred to retrace that assurance and bring down the price to Rs. 7.37.

With all respect, I would not agree with Shri Shastri that all these things are enjoyed by the consumer. There should be real wages given to labour and fair price paid to the growers ; at the same time, the consumers' interest should be protected. A *via media* has to be found. What is that ? We know how this industry has operated for the last many many years. Some of these factories are 50 years old. The people who started them initially have got so much profit that they have diverted it and built up other industries. Ultimately they made this industry like scrap and they have almost left this industry. Something has to be done to see that the workers and the cane growers get a fair price as also the consumers. I would like the Government to go into this matter in depth and look into the matter with all seriousness, instead of merely depending on the reports from the States and the Agriculturol Prices Commission.

18 hrs.

The Government can, for instance, levy a high rate of excise duty on fine sugar and spare the other consumers of sugar, because sugar is not a luxury and still the poor consumers of sugar are fleeced. The levy on fine sugar can be diverted to the producers of cane.

I would like to know from the Minister on what silly pretext Charan Singh backed out of his announcement to nationalise all these sugar mills.

DR. RAM SUBHAG SINGH : What can Charan Singh do ? They did that.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : They were together at that time.

SHRI S. KUNDU : Mr. Shastri was very eloquent, but I do not think he would ever plead that these sugar factories should be nationalised. The only solution to the problem is that the sugar industry should be nationalised throughout India. The person who is suffering in the sugar industry every day is the common worker, whose condition is so miserable that it cannot be described, The Suggr Wage Board took four or five years to give their recommendation, but these mill owners are not agreeing to it, and it has been left to the State level to decide. The workers are worst hit in the loan period when they do not have work. He must see that the award given by the Wage Board is implemented by the employers.

I am happy that sugar production has gone up, but I hear a lot of things about exports. and the Government is making an all-out effort for exports. What is the real situatiou in exports ? How much subsidy are we paying for exporting sugar, and what is the price here and in other countries, and to which section of the people does this subsidy go ? Does the subsidy go also to some of the factory owners ?

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : Half an hour is over.

श्री प्रकाशवीर शस्त्री : हम को भी अवसर दे दिया जाए और मंत्री महोदय बाद में जवाब दे सकते हैं । सामान्य सा प्रश्न ही पूछना है, कोई लम्बा चौड़ा प्रश्न करना नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम लोगों का नाम बेलट में नहीं आया ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहता हूँ । जिन चार के नाम थे उन में से दो नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम बैलट में था ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हाँ ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा भी नाम है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सीरियल वाइज चलता हूँ । I think I am going out of lhe rules. I am very much afraid that once we do that, later on this is quoted as a prece-edent I am not going to treat this as a precedent.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं एक किसान परिवार से आते हैं, इसलिए गन्ने से सम्बन्धित किसान की कठिनाई और गन्ने के मूल्य से आप स्वयं भी कुछ परिचित होंगे । सब से बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में सूखी लकड़ी का भाव साढ़े पांच रुपये मन है और घुटने घुटने तक जाड़ों में खड़े रह कर किसान जिस गन्ने को पानी देता है, उसका भाव ढाई से ले कर तीन रुपये मन के बीच में है । यानी चूल्हे में जलने वाली लकड़ी का भाव साढ़े पांच रुपये मन और गन्ने का भाव पौने तीन रुपये मन ।

किसान को हिसाब किताब बहुत कम आता है । श्री रघुवीर सिंह शास्त्री की बात को अगर छोड़ भी दें तो कुछ दिन पहले इसी सरकार के एक मंत्री जिन का नाम श्री रफी अहमद किवदई था उन्होंने गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में एक सामान्य सा सिद्धांत बनाया था कि कितने रुपये मन चीनी उतने आने मन गन्ना । यह श्री रफी अहमद किदवई का सिद्धान्त था ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सरकार के अपने एक मिनिस्टर ने गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त निर्धारित किया था, सरकार उस व्यावहारिक व्वक्ति के सुझाव को इस विषय में आदर्श क्यों नहीं मानती है ।

कुछ दिनों पहले श्री जगजीवन राम ने इसी सदन में गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में एक

आश्वासन दिय था हम ने यह सुझाव दिया था कि सरकार गन्ने का मूल्य 7-35, 8, 9 या 10 रूपये प्रति क्विंटल या जो भी निर्धारित करे, वह तो किसान को उस का गन्ना लेते समय ही दे दिया जाये और बाद में चीनी मार्केट जिस भाव पर बिके, उस के अनुपात से किसान का जो और भाग बंठता है, वह उस को दे दिया जाये। तब श्री जगजीवन राम ने यह आश्वासन दिया था कि यह एक व्यावहारिक सुझाव है और सरकार इस पर विचार करेगी। मैं श्री सिंदे से यह जानना चाहता हूं कि क्या अब तक सरकार ने उस सूझाव पर विचार किया है या नहीं ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है।

गन्ने के तोल में भी किसान के साथ धोखा होता है। किसान तो दौहरा लूटा जाता है : एक तो उस को पूरा पैसा नही मिलता है और दूसरे, उस के गन्ने का पूरा तोल नहीं किया जाता है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार क्या पग उठा रही है ?

बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारें गन्ने का सैस बसूल तो कर लेती हैं, लेकिन वे उस को गन्ने के डेवेलपमेंट पर खर्च नहीं करती हैं। उस के सम्बन्ध में सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है ?

केवल एयर-कन्डीशन्ड कमरों में बैठने वाले लोगों की राय ले कर गन्ने का मूल्य निर्धारित न हो, बल्कि उस में किसानों के प्रतिनिधियों का भी हाथ हो क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था कृषि मंत्रालय ने की है ?

श्री स० मो० बनर्जी :अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि चीनी के कारखानों के मालिकान जो मुनाफा करते हैं, वह केवल चीनी का ही मुनाफा नहीं है, बलिक बगास का भी मुनाफ़ा है, जो कोयले के बजाये बायलर में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने खुद चीनी के कारखाने में तीन साल काम किया है और इस लिए मुझे मालूम है कि चीनी के मुनाफे के अलावा चीनी कारखानों के मालिक बगास, प्रैस मड और मोलैसिज़ से भी मुनाफा करते हैं। उस मुनाफे पर कभी कोई नियंत्रण नहीं किया गया है। जब कभी काश्तकर के गन्ने के दाम को बढ़ाने की बात होती है, तो चीनी करखानों के मालिकान कहते है कि हम गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक्साइज़ ड्यूटी की छूट दी जाये। वे कभी भी गन्ने का उचित मूल्य देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसा कि डा० राम सुभग सिंह ने कहा है, गन्ने का मूल्य कम से कम दस रुपये होना चाहिए। मेरे खयल में दो प्रान्तो को छोड़ कर हर एक प्रान्त ने 9, 10 रुपये का भाव तय करने के लिए लिख है। वह भाव सही है और वह माना जाना चाहिए।

गन्ने तोल में भी कमी की जाती है। मैं ने खुद देखा है कि किसान चालीस मन गन्ना लाता है, लेकिन जब वह काटे पर लाया जाता है, तो सिर्फ तीस मन लिखा जाता है। मालिकान उस दस मन गन्ने की चीनी ब्लैक के लिए बनाते हैं। ग्रास एंड टेयर से किसी तरह निजात पा कर बेचारे किसान गन्ने को डोंगे में डालते हैं। इस के अलावा क्वालिटी सुपरवाइज़र गन्ने की क्वालिटी खराब बता कर किसान से पैसा लेते है। किसान को लीक सुपरवाइज़र को भी पैसा देना पड़ता है। यह सब खर्च करने के बाद ही किसान का गन्ना बिकता है।

जब सरकार को किसान की ये सब मुसीबतें मालूम हैं, तो फिर क्या वजह है कि वह बिहार और उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण नहीं करती है, ताकि किसान को सही तरीके से गन्ने के दाम मिलें, मजदूरों

[श्री स० मो० बनर्जी]

ठीक तन्ख्वाह मिले और चीनी के मुनाफे पर नियन्त्रण हो ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि लोग सफर करते रहें ओर चीनी के कारखानों के मालिकान अपना मुनाफा बढ़ाते रहें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिंदे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, यह डबल स्सेंडर्ड टीक नहीं हैं । यह उचित नहीं है कि आप मुंह देख कर बात करें । जब आप ने कुछ लोगों को मौका दे दिया है, तो फिर आप मुझे भी मौका क्यों नहीं देते हैं ? नाम तो मेरा भी है ।

अध्यक्ष महोदय : रूल्ज यह एलाऊ नहीं करते हैं । मैंने आउट आफ दि वे जा कर दो मेम्बरों को इजाजत दी है ।

श्री रामावतार शास्त्री : जब आप ने औरों को मौका दिया है, तो मुझे भी देना चाहिए । आप का बिहेवियर पार्शलिटी का है ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Sir, I am thankful to Mr. Raghubirsingh Shastri for having raised this discussion in which many hon, members of this House and a large number of farmers in the country are interested. Quite a few Prominent members of this House including Dr. Ram Subhag Singh, Mr. Banerjee and Mr. Prakash Vir Shastri have Participated in this brief discussion. I would like to dispel the impression of hon. members in regard to Covernment's policy on cane price. The interest of cane-growers is most dear to us, because sugar ultimately is not produced in the factory alone. The farmers have to produce the cane in the farms. Our approach has been that the cane-growers should get a reasonable price. Some hon. members referred to the assurance given by Shri Jagjivan Ram, the then Minister for Food and Agriculture, that the minimum price of Rs. 10 per quintal would be paid to the growers. I do not know hon. members are interpreting the the assurance like this. It was related to that particular year. Hon. members are aware that cane prices are annouced every year and they are not the same every year.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : He said it while replying to the budget discussion in April. That means, it is for this reason and not for the previous reason.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : 1966-67 and 1967-68 were very difficult periods because cane production had gone down and there was acute shortage of suger. The problem before the Government was, how to encourage more cane production. So, the Government adopted the partial decontrol policy and the intention was that the benefits should go to the growers. I am glad that as a result of the policy, millions of farmers benefited in that particular year and got much higher prices than the minimum price announced by Government for two years. As a result of that encouragement, the cane acreage has substantially gone up. In the two difficult years, it was 50 lakh acres. Now it has reached 67 lakh acres. Last year, the prices of jaggery slumped. Despite the incentives given by the centre to the sugar factories, they could not crush all the sugercane. Both Mr. Raghubir Singh Shastri and Mr. Prakash Vir Shastri are aware that in UP sugercane remained unharvested on thousands of acres.

Ultimately 60 to 65 per cent of the cane in this country is used for the manufacture of khandsari and jaggery. A large number of farmers had no protection whatsoever and millions of farmers in this country suffered. The reason was overproduction of cane. Do hon. Members want that cane acreage should be increased still further so that it would multiply the difficulties of farmers ? Already cene acreage is so much that it would not be desirable, it would not be in the national interest, it would not be in the interest of farmers to increase the acreage. It would add still further to the difficulties of farmers. I wish Members appreciate this fact.

Members have raised two issues : firstly, that we taken an arbitray view of the

matter in determining the price and, secondly, that we no not consult the State Governments. First of all, we necessarily consult the State Governments not only by correspondence but in every Chief Ministers' Conference we consult the Chief Ministers and the Food Ministers. Of course, various State Governments have informed us in writing about their views about sugarcane price.

Then, we consult the Agricultural Prices Commission and the Commission has recommended that the *status quo* should be retained in regard to the minimum price of cane. Therefore, Government have retained the *status quo* during the last two years and the same price has been annouced this year with the slight modification that in regions where there is higher recovery a result of the report of the export committee which has gone into this.

Shastriji has also made a point whether anywhere in this country the price is paid according to the recovery. I think, Shastriji is a knowledgeable person and he must be knowing the fact that prices of sugarcane are notified on the basis of average recovery of each factory. It is a criminal offence to pay anything less than the minimum price which has been notified by Government.

I come from a district where there is the largest number of cooperative and joint stock factories and the minimum prices which are notified differ even for adjoining factories because it is based on recovery. All over the country the prices are linked to recovery.

A contention can be made that some factory owners are dishonest and do not perhaps show the proper recovery. Individual cases apart .....(*Interruption*)

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : आप इस की एन्क्वायरी करेंगे क्या ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I am not denying the fact that there may be some dishonest people.

SHRI RAGHUBIR SINGH SHASTRI : The majority of them are like that so far as UP is concerned.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : It is a doubtful proposition. But so for as prices are concerned, they are notified on the basis of recovery.

The third important point raised by Shastriji and Dr. Ram Subhag Singh was about the arrears of sugarcane prices. I quite appreciate the sentiments of the hon. Member that ihis year the arrears of sugarcane prices have been very large. For instance, last year on 30th September the arrears of cane price were Rs.12,52,00,000 ; a year earlier to that the arrears were Rs. 479 lakhs but this year on 30th September the arrears of sugarcane price have been Rs. 20,82,00,000. It is very distressing. The figure which was quoted by Shastriji related to July. Thereafter some payments have been made but even then Rs. 20 crores or Rs. 21 crores is a very large amount and we, as the Food and Agriculture Ministry, are very much concerned about it.

We have drawn the attention of the State Governments to see that these arrears are recoverd by using coercive measures. As far as the Sugercane Control Order is concerned, it says that the sugercane prices must be paid within a stipulated period of 14 days after the cane is delivered and if it is not paid within that time the State Governments have to recover the arrears of cane price as arrears of land revenue.

SHRI S. KUNDU : Do you charge interest when you recover it ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Our advice to the State Governments is that if there are arrears, interest at 9 per cent should bs added to that. But, unfortunately, we could not incorporate this in the statute because when we consulted the Law Ministry. the Law Ministry gave the advice that it would not be legally feasible to incorporate this. But our advice to State Governments and to factories would be that they must necessarily pay interest if they are not likely to make payment of sugercane price within the stipulated period.

Various other issues have been raised. It is not possible to go into the gamut of all questions because all questions relating

[Shri Annasahib Shinde]

to the broad sugarcane policy have been raised. However, I would like to go into two or there important points raised bymy hon. friends. The hon. Members, Shri S. M. Banerjee and Shri Kundu, raised an issue, why not nationalise the suger industry and give better justice and fairplay to workers and farmers. As the House is well aware. the Government of India has appointed the Sugar Enquiry Commission to go into this specific problem. They will, naturally, take care of it.

As far as the implementation of the wage award is concerned, the Wage Board has recently made recommendations in regard to the workers in the sugar industry and the Government have accepted those recommendations. We have suggested to State Governments and the industry that the Wage Board's award should be implemented.

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : What about Mr. Jagjivan Ram's assurance ?

जगजीवन राम जी ने कहा था कि बाजार में जिस भाव पर चीनी विकेगी बाद में उस हिसाव से उतना पैसा किसानों को मिलेगा ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : When partial decontrol was there, naturally, the farmers got higher than the minimum price. Now the prices of sugar has come down and I do not think in the present set of circumstances it is feasible to suggest to pay any thing higher than the minimum pirce. Of course, the cooperatives have been giving higher price.

Lastly, a reference has been made to the formula of late Shri Rafi Ahmed Kidwai...

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जगजीवन राम जी ने जो अभी कहा कि बाजार में जिस भाव पर चीनी बिकेगी उसके अनुसार दाम बाद में किसानों को दिया जायेगा ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : At that time, we suggested to the factories that if as a result of free sale of sugar in the open market they get additional thing, they should pay to the cane growers. The cooperative paid it; some suger factories also paid it, not all the factories. I am aware of that. But ultimately there is no statutory control by the Government whereby we can make them pay. This year, the sugar prices are ruling at such a level......

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जगजीवन राम जी ने कहा था कि हमें इस पर एक कमेटी बैठायेंगे ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : That way, the terms of the Sugar Enquiry Commission are very wide and some of the matters pertaining to this can be gone into by the Sugar Enquiry Commission.

As regards the formula of late Shri Rafi Ahmed Kidwai to which a reference was made, I think, the set of circumstances which were prevailing at that time late Shri Rafi Ahmed Kidwai was the Minister of Food and Agriculture, the cost structure, the sugarcane price, the taxation structure, and all that, were quite different. I would like to dispel the impression of the House. The sugar prices are determined by the Tariff Commission. The Tariff Commission goes into all aspects of it. As far as the prices of controlled sugar is concerned, they are based on the formula evolved by the Tariff Commission.

Sir, I have nothing more to say. There should not be any misunderstanding about the Governmenment policy in regard to this. We have tried our level best to do justice to cane growers. The Sugar Enquiry Commission has alrady been appointed by the Government.

MR. SPEAKER : In future, I have to bring it to the notice of the House that when we adjourn, if I say till tomorrow, it means till 11 A. M. tomorrow, as is under the rules. Similarly, when we adjourn for lunch, if I say we adjourn for lunch, it means, we reassemble after one hour. I can do away with saying every time that we adjourn to meet again at such and such time. That is already in the rules.

So, we adjourn till tomorrow, that means till 11 A. M. tomorrow.

18.25 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 26, 1970/Agrahayana 5, 1892 (Saka)

Printed at The Bengal Press Delhi-6